संख्या-406/2018/542/22-2-2018-17(100)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 मई, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल सिंह उर्फ राजाबेटा पुत्र श्री गिरिन्द सिंह निवासी जनपद-जालौन की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15023/प्रोबेशन-3 (एम-06.04.2018) दिनांक 16.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल सिंह उर्फ राजाबेटा पुत्र श्री गिरिन्द सिंह, जो-लहरउआ, थाना-कोतवाली, जनपद-जालौन का रहने वाला है। बन्दी ने व्यक्तिगत एवं चुनावी रंजिश में दिनांक 22.10.1995 को समय दिन में लगभग 11:00 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गांव के अतर सिंह, शिवपाल सिंह एवं केशमान सिंह नामक 03 व्यक्तियों की लाइसेंसी रायफल, बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-10/1995 में भा0द0वि0 की धारा- 302, 302/34 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 28.09.1998 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक 22 वर्ष 05 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 10 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण असंतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने व्यक्तिगत एवं चुनावी रंजिश में दिनांक 22.10.1995 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 03 व्यक्तियों की लाइसेंसी रायफल, बन्दूक से गोली मारकर हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 55 वर्ष लगभग है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामपाल सिंह उर्फ राजाबेटा पुत्र श्री गिरिन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रि0मि0 अपील सं0-2095/1998 इन्द्रपाल सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामपाल सिंह उर्फ राजाबेटा (बन्दी संख्या-12669) पुत्र श्री गिरिन्द सिंह निवासी जनपद-जालौन के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-406/2018/542(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन (उरई)।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-406/2018/542/22-2-2018-17(100)/2010

दिनांक 09 मई, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल सिंह उर्फ राजाबेटा पुत्र श्री गिरिन्द सिंह, जो-लहरउआ, थाना-कोतवाली, जनपद-जालौन का रहने वाला है। बन्दी ने व्यक्तिगत एवं चुनावी रंजिश में दिनांक 22.10.1995 को समय दिन में लगभग 11:00 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गांव के अतर सिंह, शिवपाल सिंह एवं केशमान सिंह नामक 03 व्यक्तियों की लाइसेंसी रायफल, बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-10/1995 में भा0द0वि0 की धारा- 302, 302/34 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 28.09.1998 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक 22 वर्ष 05 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 10 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण असंतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने व्यक्तिगत एवं चुनावी रंजिश में दिनांक 22.10.1995 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 03 व्यक्तियों की लाइसेंसी रायफल, बन्दूक से गोली मारकर हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 55 वर्ष लगभग है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामपाल सिंह उर्फ राजाबेटा पुत्र श्री गिरिन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in